FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 25)

उप खण्ड अधिकारी — मुकाम नीमराना

राजपालसिंह — बनाम दिनेश वगै०

प्रार्थना-पत्र दा० R.C.A. नं० 187 साल 2021

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.9.21 आज मुद्दा प्रार्थना पत्र 212 R.T.A. एक्ट बाद के साथ पेश किया। दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी के वकील तथा प्रार्थी वकील की एक एकीकृत बहस सुनी पत्रावली मय जाब्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बना है। पुनर्विचार का संतुलन प्रार्थीगण की ओर प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होती है। अतः आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण को आदेश जारी कर यथास्थिति बहाल किया जाता है कि वे विवादित आराजी 1003, 1004/1005 वाले ग्राम डाकड़ास तहसील नीमराना जिला अलवर में किसी प्रकार की छेड़छाड़ व बिक्री की मध्यस्थता करने संबंध में कोई भी कार्य एवं प्रार्थना में अंतिम हाजिर आदालत आप अपनी जवाब पेश करें। अप्रार्थीगण आदि को रजिस्टर्ड नोटिस तलब हो। प्रार्थी वादी रजिस्टर्ड तलबाना पेश करें। प्रार्थी आदि वादी रजिस्टर्ड तलबाना पेश करने में विफल रहता है तो अंतरिम आदेश आपास मान लिया जावेगा। बाद तलबी दि० 6.11.21 को पेश हो।	

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर) राज.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
21-11-24	आज पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने कार्य स्थगित कर रखा है। पक्षकारान् -उप- पत्रावली दि० 3-2-25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, नीमराना	
3-2-25	आज यह पत्रावली पेश हुई पार्टी के कोई उपस्थित है गैरहाजिर को सम्मन जारी है। पत्रावली वास्ते गैरहाजिर 5-3-25 को पेश है। उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)	
5-3-25	आज यह पत्रावली पेश हुई। बार संघ नीमराना द्वारा कार्य स्थगन किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 23-5-25 को पेश हो। रीडर	
23-5-25	आज यह पत्रावली पेश हुई। बार संघ नीमराना द्वारा कार्य स्थगन किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 26-5-25 को पेश हो। रीडर	
Note presented by m	23-5-25 आज पत्रावली पेश हुई। वकील फरीकेन उप श्री तहसील अधिकारी अ. बहाना दौरे मिटिंग पर पधारे है। पत्रावली उनके समक्ष दि० 26-5-25 को पेश हो।	
राजपाल सिंह	26-5-25 आज पत्रावली पेश हुई पत्रावली के मुलाहिजा नोट शीट में लगाई हो चुका है। प्रार्थी ने प्रा. पत्र भी नोट शीट किया है। अ.प्रा. प्रा. पत्र सारणाड नोट शीट में लगाई किया जाता है। पत्रावली देखकर श्रवण करने के बाद अगली सुनवाई [illegible] बाद करें। उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)	